दिनांकः २७ जनवरी, २००६ परिवाद सं. ०२ / १७ / २६३२

एकलपीठ न्यायमूर्ति श्री एन.के.जैन, अध्यक्ष

समाचार पत्र में छपी खबर ''बर्न वार्ड बना, मौत का कूआ'' के आधार पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर आयोग के आदेश दिनांकः 16–12–2002 द्वारा प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर को इस मामले में वस्तुस्थिति, विचारित राय के साथ आयोग को प्रेषित करने हेतु आदेश दिये गये।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-1) विभाग ने अपने पत्र दिः 25-3-03 द्वारा आयोग को अवगत कराया कि प्रकरण की जाचं प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, जयपुर से करवाई गई। जांच में अवगत कराया है कि सीमित साधनों, अपर्याप्त स्थान और प्लास्टिक सर्जरी विभाग में अलग से ऑपरेशन थियेटर कॉम्प्लेक्स की नितान्त आवश्यकता है। बर्न वार्ड में सुधार हेतु दानदाताओं से आर्थिक सहायता प्राप्त किये जाने के प्रयास भी संस्था द्वारा किये जा रहे हैं। इस पत्र के साथ प्रधानाचार्य की रिपोर्ट की प्रति भी आयोग के अवलोकनार्थ प्रेषित की गई। जिसमें अंकित किया गया है कि

''सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर की वर्ष 1988 में स्थापित बर्न यूनिट राज्य की एक मात्र यूनिट है जिसमें राज्यभर एवं पडौसी राज्यों से भी गंभीर रूप से जले हुए मरीज भर्ती होते हैं। जैसा कि आंकडे दिखाते हैं कि सन् 2002 में कुल 882 मरीज भर्ती हुये थे, जिनमें से 277 मरीज मृत्यु को प्राप्त हुए। इनमें से 208 मरीज ऐसे थे, जिनके शरीर का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा जल गया था। इस प्रकार से 50 प्रतिशत से कम जले हुए मृतक मरीजों की संख्या मात्र 69 थी।

15 से 30 प्रतिशत जले हुए मरीजों की मृत्यु का कारण या तो उनका बिजली के करन्ट से जलना थ या धुएं के फेंफडों में चले जाने से निमोनिया आदि होने से होना था या मरीज विभिन्न मेडिकल बीमारियों से ग्रसित थे, संवेदनशील भागों का जलना मृत्यु में उतना महत्व नहीं है जितना कि शरीर के जलने वाले भाग का प्रतिशत एवं गहराई है।

50 प्रतिशत से अधिक गहरे जले हुए बर्न के मरीजों को बचाना मुश्किल काम है और उक्त दिए आंकडे देश के दूसरे बर्न चिकित्सा केन्द्रों के आंकडों से तुलनात्मक हैं।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय के बर्न वार्ड में भर्ती होने वाले मरीजों एवं मरने वालों की संख्या में वर्ष के पूर्व के छः महिनों एवं बाद के छः महीनों में अंतर नहीं है। जैसा कि निम्न आंकडों से स्पष्ट है :-

	भर्ती मरीजों की संख्या	मृतकों की संख्या
प्रथम छः महीने	447	136
बाद के छः महीने	435	141

फयूमिगेशन बन वार्ड में एक नियमित प्रकिया है। जब भी बर्न वार्ड में मरीजों की लख्या कम होती है तो पुराने बर्न वार्ड से मरीजों को न्यू बर्न वार्ड में स्थानान्तरित करके रुपूमिगेशन कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भी किसी केबिन के खाली होने पर उसे रुपूमिगेट कर दिया जाता है। इस प्रकार यह प्रकिया तीन महीने से कम समय में ही लन्पदित हो जाती है। माइकोबायोलोजी विभाग द्वारा होने वाले स्वॉबकल्व की अवधि अवश्य जबिक है परन्तु नित्य प्रतिदिन होने वाले घाव के स्वावकल्वर से जीवाणुओं और उनकी लवेदनशीलता का अंदाज हो जाता है।

नये मरीज के शरीर पर डाले जाने वाले चद्दर अधिकतर ऑटोक्लेव होती है। अल्बत्ता कम्बलों को ऑटोक्लेव करना मुश्किल है। इस कारण इन्हें नियमित रूप से धूप में डाला जाता है।

मरीज के परिजनों को बाहर के जूते बार्ड में ले जाने की अनुमति नहीं है और उन्हें जेस मारक पहनने के लिए भी बाध्य किया जाता है। चिकित्सक व नर्सेज भी मारक व अलग चप्पलों का इस्तेमाल करते हैं।

बर्न वार्ड में केडलस की संख्या 40 है जो 30 मरीजों के वार्ड के अनुपात में पर्याप्त है। बर्न वार्ड में फिलहाल प्रभारी सहित 10 नर्सिंग कर्मचारी पदस्थापित हैं जो मानक मापदण्डों के अनुसार अवश्य कम हैं।

कुछ दानदाताओं ने बर्न वार्ड में सुधार के लिए धन देने का मानस बनाया है। परन्तु अभी कुछ ठोस कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। अमेरिका में बसे राजस्थान के चिकित्सकों की संस्था ने भी एक स्वयं सेवी संस्था राजस्थान विकास एवं डवलपमैंट ट्रस्ट के माध् दम से 3.00 लाख रूपये भेजे हैं तथा और अधिक आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है।

यह सत्य है कि बर्न वार्ड में सुधार की नितान्त आवश्यकता है। इसके हेतु अधिक स्थान चाहिए जिसमें वातानुकूलित वार्ड, अलग ऑपरेशन थियेटर एवं गहन चिकित्सा इकाई की व्यवस्था हो, जिससे चिकित्सालय में आने वाले बर्न के मरीजों का और अधिक इलाज सम्भव हो सके।



वर्तमान में प्लास्टिक सर्जरी बर्न विभाग को मात्र 8 टेबिल ऑपरेशन थियेटर संख्या 1 में आवंटित है। उसी में प्लास्टिक सर्जरी के मरीजों के साथ—साथ बर्न के मरीजों के भी ऑपरेशन होते हैं और इस प्रकार यह आवंटित समय अत्यन्त अपर्याप्त है और प्लास्टिक सर्जरी विभाग को अलग ऑपरेशन थियेटर काम्पलैक्स की नितान्त आवश्यकता है।''

आयोग ने अपने आदेश दिः 4–4–83 द्वारा पुनः प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वाख्थ्य सेवायें तथा प्रधानाचार्य, एस.एम.एस.मेडिकल कॉलेज, एवं हॉस्पीटल, जयपुर को निर्देश दिये कि इस प्रकरण में की गई कार्यवाही तथा हुई प्रगति रिपोर्ट समय–समय पर इस आयोग को भिजवाना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश की पालना में विभाग ने पत्र दिनांकः 29–11–03 द्वारा आयोग को सूचित किया कि :–

- 1- हैड सर्जरी हेतु निर्धारित ऑपरेशन थियेटर प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न विभाग को आवंटित कर दिया गया है।
- 2– उक्त चिकित्सालय के वर्तमान में स्थित गैस्ट्रोएन्ट्रोलोजी वार्ड के उपर की छत पर प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न वार्ड के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उक्त वार्ड का निर्माण ए.डी.बी. के आर्थिक सहयोग से अनुमानित रूप से 150 लाख (डेढ करोड़) की लागत से किया जायेगा।
- 3– उक्त चिकित्सालय में वर्तमान प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न वार्ड को राजस्थान वैलफेयर एवं विकास ट्रस्ट से वातानुकूलित करवाए जाने के संबंध में आवश्यक लघु कार्य सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर की मेडीकेयर रिलीफ, सोसायटी से करवाये जाने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

इसी कम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अपनी ताजा प्रगति रिपोर्ट दिनांकः 12—12—05 द्वारा आयोग को सूचित किया है कि एशियन डवलपमैंट बैंक के आर्थिक सहयोग से आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य करवाये जाने प्रस्तावित थे।

आर.यू.आई.डी.पी. से प्राप्त नवीनतम विवरण के अनुसार सवाई मानसिंह चिकित्सालय में आर.यू.आई. डी.पी. द्वारा ओपीडी ब्लॉक के निर्माण का कार्य ही प्रारम्भ किया गया है तथा वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण सवाई मानसिंह चिकित्सालय में अन्य कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय स्थित वर्तमान बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी वार्ड हेतु निम्नांकित सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई है :--

1– ऑपरेशन थियेटर कॉम्पलेक्स में ही स्थिति है जिनमें प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सर्जरी के ऑपरेशन किये जाते हैं।

2- उक्त वार्ड को एयर कूल्ड किये जाने हेतु तथा अन्य विभिन्न कार्य चिकित्सालय की मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के माध्यम से करवाये जाने की स्वीकृति भी दिनांकः 18-7-2003 को जारी कर दी गई। उक्त वार्ड एयर कूल्ड है।

3- वर्तमान बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी वार्ड में 43 बैड उपलब्ध हैं जिनमें से 26 बैड पुरूष एवं 17 बैड महिलाओं के लिए निर्धारित हैं। इसके साथ ही पृथक से 11 शैयाओं का एक बर्न सेमी आईसीयू भी प्रारम्भ किया जा चुका है।

वर्तमान में आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा निर्माणाधीन ओपीडी ब्लॉक का निर्माण कार्य प्रगति जर है। इसी प्रकार सवाई मानसिंह चिकित्सालय परिसर में ही पृथक से एक अस्पताल खण्ड (बरक) का निर्माण कार्य भी राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम के माध्यम चे करवाया जा रहा है। यह दोनों भवन तैयार हो जाने पर सवाई मानसिंह चिकित्सालय के मुख्य भवन में अतिरिक्त स्थान उपलब्ध सकेगा। उपलब्ध होने वाले स्थान में से बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी वार्ड हेतु अतिरिक्त स्थान उपलब्ध करवाये जाने हेतु यथा समय विचार किया जा सकता है।

आयोग द्वारा उक्त सभी रिपोर्ट्स का अवलोकन किया गया। जिनके मध्यनजर आयोग अपेक्षा करता है कि रिपोर्ट में दर्शाये अनुसार चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन दोनों भवन तैयार हो जाने पर उपलब्ध होने वाले स्थान में बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी वार्ड हेतु पर्याप्त स्थान एवं सुविधायें पीडितों को उपलब्ध कराने का सार्थक प्रयास राज्य सरकार एवं चिकित्सालय प्रशासन द्वारा आवश्यक रूप से किये जायेंगे तथा इस संबंध में की गई कार्यवाही एवं प्रगति से आयोग को भी अवगत कराया जावेगा।

परिवाद का इसी प्रकार निस्तारण किया जाता है। इस आदेश की एक—एक प्रति प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर एवं प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, जयपुर एवं अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को भी प्रेषित की जाये।

Date: 5th August, 2005

Case No. 05/17/447

Present:

Hon'ble Mr. Justice N. K. Jain, Chairperson Hon'ble Mr. D. S. Meena, Member

On the basis of news item published in the 'Metro Patrika' that in some villages of Ajmer, Barmer, Bharatpur, Bikaner, Churu, Ganganagar, Jaipur, Jalore, Jodhpur, Jhunjhunu, Nagaur, Pali, Sawaimadhopur, Sirohi and Tonk districts due to fluoride in the water, people are suffering from several diseases. It is also mentioned in the paper that 1.7 to 1.17 PPM fluoride are available in the water. The Commission has taken suo moto cognizance in the matter and Member Secretary, Raj. State Pollution Control Board [RSPCB] was asked to submit his report in this regard.

As per the report of Member Secretary, RSPCB, Jaipur, it is stated that there is no industry in the districts as mentioned in the newspaper where drinking water is mixed with fluoride. It is stated that no industry/Factory having discharge of fluoride is set up in such area. However, Regional offices of RSPCB have been directed to ensure that the discharge/emission of fluoride from the industries should be within the prescribed limit. It is informed that they have identified some industries, with names, address, product, pollution control arrangement with remarks and submitted a list of about 160 industries and factories in number, at Alwar, Bhilwara, Jodhpour and Udaipur in Rajasthan which discharge/contribute fluoride. As per the remarks some of the industries/factories are not being monitored, and some are having significant contribution in fluoride emission and most of the factories are showing non-sufficient contributor of fluoride and some have been shown as closed. It has also been mentioned that certain Units have no control measures to neutralize fluoride emission as shown in some factories at Jaipur from SI. No.30 to 35. It is noted that at the same time notices have been issued to certain Units for its own ETP system but now connected with CETP. Member Secretary has also intimated vide copy of letter dated 25/6/2004 about the minutes of the meeting of the State Level Multipurpose Fluorosis Control Committee held on 28/05/2004 in which it reveals that they have issued direction to take care of fluoride emission as per prescribed standard. The Chief Chemist of PHED has also intimated vide letter dated 23.3.05 the detailed report dated 19/3/2005 that in the State of Rajasthan, State has taken all steps to eradicate fluoride and a detailed report has been filed. It is also stated that the government is creating awareness and is taking all the possible steps for removal of fluoride with the assistance of UNICEF in the entire State of Rajasthan. The Government has also issued direction to implement the guidelines.

we have heard and perused the material on record. As per the report there is no industry as mentioned in the newspaper, where drinking water is mixed with fluoride, nor any industry having set up in such area.

It is a well settled law that any factory/industry can be started only after getting clearance in all respects as required under the Act. On fulfillment of requirement the Rejasthan State Pollution Control Board issues the consent to start functioning the factory/industry. It is also clear that even if the consent is given, the Pollution Control Board is competent to monitor and can take appropriate action for any violation, or if it exceed the limits as prescribed under the Act.

So far as reply to the news item there is a denial. However, for some other factories as per the report, as stated that some of them are not fulfilling the required norms: and also not complying certain instructions. The Government is duty bound to supply pure and clean drinking water within the tested parameters. The Pollution Control Board can monitor each and every factory as per the report of Member Secretary dated 17/3/05 and other wise also independently.

Under the circumstances, the Pollution Control Board is competent to monitor each and every factory/individual industry/ and can consider individual case to satisfy that they are fulfilling the required norms and prescribed limits and the requirement of the law. The RSPCB is also competent to take appropriate action against the individual factory for any violation including prosecution, and closure of the factory after giving an opportunity, within 6 months from the date of receipt of this direction, as per law. In the reply it is seen that the Government has taken all possible steps to eradicate the problem as published and there is a denial regarding availability of fluoride. However, to get clean and pure drinking water is the need of the day. In the circumstances, it is necessary to ensure that people should get pure, clean and uncontaminated water which is essential for human being to live in good and sound health. It is also made clear that if water is having excess objectionable limit or above tested parameters, and if any complaint in this regard is received this Commission is always free to take appropriate action independently in accordance with law. A copy of this order along with report of Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur dated 17/3/05 be sent to PHED and copy of order may also be sent to Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur for necessary compliance in accordance with law as per above directions.

In view of what we have discussed above, the matter is disposed of accordingly.